

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल:-smhauthority007@gmail.com, दूरभाष:-0135-2608763, फ़ैक्स:-0135-2608746

पत्र संख्या-21प/सा0मा0/मानसिक स्वा0प्राधि0/03/2020/26301 देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2023

सेवा में,

नोडल अधिकारी (आई0टी0 सैल),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 121(2) के आलोक में सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के पूर्यात: क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 200/XXVIII-3-2023/16(रिट) 2021 दिनांक 23 अगस्त, 2023 सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियमावली, 2023 उत्तराखण्ड मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख(मानसिक रूगणता से ग्रस्ति व्यक्तियों के अधिकार) नियमवाली, 2023, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनो एवं नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक कतिपय प्रपत्रो की प्रतियां उपलब्ध कराते हुये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त गजट को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न- गजट प्रकाशन की एक प्रति।

भवदीया,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण।

पत्र संख्या:-21प0/सा0मा0/मानसिक स्वा0प्राधि0/03/2023/

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

No. 200 /XXVIII-3-2023/16 (रिट)2021

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि० स्वा० एवं चिकि० शिक्षा अनु०-03

देहरादून : दिनांक 23 अगस्त, 2023

विषय:-मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 121 (2) के आलोक में सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के पूर्णतः क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) नियमावली, 2023, उत्तराखण्ड मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियमावली, 2023, उत्तराखण्ड मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (मानसिक रूग्णता से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार), नियमावली, 2023, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवं नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक कतिपय प्रपत्रों सहित निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रूड़की, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है।

उपरोक्त गजट प्रकाशन की 60 प्रतिया प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करते हुये संगत नियमों के आलोक में तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

No. 200 /XXVIII-3-2023/16 (रिट) 2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके कार्यालय पत्र दिनांक 05.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।

श्री (SMA) श्री 15/18

21/8/2023
A.M.P. / C.S.

4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/न्याय/विधायी/उच्च शिक्षा/महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त अधिसूचना की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. पुलिस महानिरीक्षक, कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।
13. अध्यक्ष, समस्त मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एम्स, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
15. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. प्राचार्य, दून मेडिकल कॉलेज/राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोडा/राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी/राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर।
20. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई, देहरादून।
21. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रुड़की, उत्तराखण्ड।
22. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।